राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 286/2024 निर्णय दिनांक : 19.12.2024

राजेन्द्र कुमार शर्मा बनाम उमेश कुमार वगै0

राजेन्द्र कुमार शर्मा उम्र 47 वर्ष पुत्र स्व. गीगराज शर्मा, निवासी ग्राम खाजपुर नया तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज) हाल निवासी– 9/6 हाउसिंग बोर्ड चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ (राज)

वादी

बनाम

1. उमेश कुमार पुत्र शंकर निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुंझुनूं (राज)
2. जगतसिंह पुत्र बिड़दाराम निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुंझुनूं (राज)
3. नरोतमलाल पुत्र बिड्दाराम्, निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज)
4. प्रकाश पुत्र पुरुषोतम्, निवासी ग्राम खाजपुर नया तहसील व जिला (राज) हाल निवासी वार्ड नं. 49. छावनी बाजार, तहसील व जिला झुंझुनूं
5. ममता पत्नी नरोतमलाल निवासी ग्राम बाजपुर नया, तहसील व जिला– झुंझुनूं (राज)
6. सुमित्रा देवी पत्नी मुरलीधर निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुंझुनूं
7. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर निवासी ग्राम खाजपुर नया तहसील व जिला– झुंझुनूं (राज)
8. मोनीष पुत्र मुरलीधर निवासी ग्राम खाजपुर नया तहसील व जिला– झुंझुनूं (राज)
9. शिवम पुत्र महावीर प्रसाद निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी वार्ड नं. 49. छावनी बाजार, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.)
10. शुभम पुत्र महावीर प्रसाद, निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी वार्ड नं. 49, छावनी बाजार, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.)
11. लालचन्द पुत्र फतेहचन्द निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.)
12. शिवरतन पुत्र शंकर निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.)
13. विमला देवी पत्नी स्व. गीगराज उर्फ सत्यनारायण, निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी 9/6 हाउसिंग बोर्ड, चन्देरिया, चितौड़गढ़ (राज.)
14. नरेश पुत्र स्व. गीगराज उर्फ सत्यनारायण, निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी– 9/6 हाउसिंग बोर्ड चन्देरिया, चितौड़गढ़ (राज.)
15. सुभाष पुत्र शंकर निवासी ग्राम खाजपुर नया, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.)
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
17. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिंह सर्किल, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)
18. झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला– झुन्झुनू (राज.)
19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनू, तहसील व जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत् घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया–

जमीन हाल खसरा नं. 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 112 113, 132, 346/114, 347/114 एवं 348/114 कुल किता 13 कुल रकबा 12.84 हैक्टेयर वाके ग्राम खाजपुर का बास, पटवार हल्का खाजपुर नया, तहसील– झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू की सीमा में अवस्थित है। वर्णित भूमि के पूर्व खातेदार फतेहचन्द पुत्र बजरंगलाल शंकरलाल पुत्र महादेव रहे है जिसके बाबत रेवन्यू रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 में रिकॉर्ड दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–2016, संवत् 2020–2023, संवत् 2024–2027, संवत् 2032–2035, संवत् 2036–2039 में भी बतौर कृषक खातेदार फतेहचन्द पुत्र बजरंगलाल शंकरलाल पुत्र महादेव का नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसे खातेदारान फतेहचन्द पुत्र बजरंगलाल शंकरलाल पुत्र महादेव द्वारा अपने जीवनकाल में कब्जा, काश्त एवं उपयोग उपभोग रहा था। खातेदार फतेहचन्द पुत्र बजरंगलाल का देहान्त आज से कई वर्षो पूर्व हो चुका है। स्व. श्री फतेहचन्द वैध वारिसान में उनकी उनके 5 पुत्र हुए जिनमें से मौजूदा समय में 4 का देहांत हो चुका है तथा 1 पुत्र लालचन्द मौजूद है जो हस्तगत वादपत्र में पक्षकार प्रतिवादी नं. 11 है तथा स्व फतेहचंद के प्रथम पुत्र पुरुषोतमलाल का भी देहांत हो चुका है जिनके मौजूदा वारिसान में एकमात्र पुत्र प्रकाश है जिन्हे हस्तगत वादपत्र में पक्षकारा प्रतिवादी नं. 4 संयोजित किया गया है। इसी प्रकार स्व. फतेहचंद के दूसरे पुत्र मुरलीधर का भी देहांत हो चुका है जिनके वैध वारिसान में उनकी बेवा सुमित्रा देवी 2 पुत्र मुकेश कुमार शर्मा व मोनीष है जिनको हस्तगत वादपत्र में पक्षकार प्रतिवादी नं. 6. 7 व 8 संयोजित किया गया है। इसी प्रकार स्व. फतेहचंद के चौथे पुत्र गीगराज उर्फ सत्यनारायण का भी देहांत हो चुका है जिनके वैध वारिसान में उनकी बेवा विमला देवी एवं 2 पुत्र राजेन्द्र व नरेश है जिसमें से राजेन्द्र द्वारा हस्तगत वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उनकी बेवा व पुत्र नरेश को हस्तगत वादपत्र में पक्षकार प्रतिवादी नं 13 व 14 संयोजित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वारिसान ने फौत होने पर सम्पति का तर्का पाया है तथा मौजूदा समय में उपस्थित वारिसान को ही पक्षकार संयोजित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 132, 346/114. 347/114 एवं 348/114 कुल किता 13 कुल रकबा 12.84 हैक्टेयर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 की पैतृक शामलाती भूमि रही है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 का हिस्सा विधमान है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 द्वारा इसी अनुसार भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा है एवं भूमि काश्त की जा रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 15 का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार ही दर्ज किया जाना है। रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही फौत होने पर मौजूदा वारिसान का रिकॉर्ड उनके हक हिस्से अनुसार ही अमल दरामद किया जाना है। पुरुषोतम पुत्र फतेहचन्द का हिस्सा 1/10 दर्ज रिकॉर्ड है मौजूदा समय में फौत होने पर एकमात्र पुत्र प्रकाश प्रतिवादी नं. 4 के हिस्से में 1/10 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड किया जाना है। इसी प्रकार मुरलीधर पुत्र फतेहचंद के हिस्सों में 58/1605 हिस्सा दर्ज है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण नं. 6 लगायत 8 के हिस्से में 58/1605 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज किया जाना है। महावीर प्रसाद का हिस्सा 1/10 दर्ज रिकॉर्ड है जिनके फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी नं 9 व 10 के संयुक्त. रूप से 1/10 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड किया जाना है। सत्यनाराण उर्फ गीगराज का हिस्सा 1/10 दर्ज है जिनके फौत होने पर उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी नं. 13 में 14 के हिस्से में संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा दर्ज किया जाना है। शेष वारिसान का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड अनुसार ही दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 15 द्वारा भूमि के रिकॉर्ड दुरूस्ती अर्थात वादी द्वारा अपने पिता के देहांत दिनांक 21.01.2024 को होने पर एवं वादी द्वारा कार्यवश कस्बा झुन्झुनू से बाहर निवास करने के कारण हाल ही में भूमि बाबत पता करने पर वादी द्वारा पिता का नाम दुसरूरत करवाने हेतु तहसील झुन्झुनू में जाकर श्रीमान् तहसीलदार महोदय से दिनांक 18.07.2024 को विधिक दुरूस्ती करने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी नं. 16 श्रीमान् तहसीलदार महोदय, झुन्झुनू ने वादी को जुबानी तौर पर हिदायत कि इस संबंध में अदालत मजाज में दावा प्रस्तुत कर रिकॉर्ड दुरूस्ती का आदेश लाने के पश्चात् ही भूमि का रिकॉर्ड दुरूस्त किया जा सकेगा अन्यथा नहीं, इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 ने की ओर से एडवोकेट विवेक शर्मा द्वारा इकबाली जबाब दावा पेश किया गया। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित वाद पत्र पेश किया। वादी की ओर से एडवोकेट श्री अविनाश शर्मा तथा प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट विवेक शर्मा उपस्थित आये। वकील पक्षकारान को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्तागण ने मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री जारी करने में

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सहमति जाहिर की। अधिवक्तागण को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों व प्रतिवादीगण के ईकबालिया जबाब से भी वाद वादी साबित होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वकील वादीगण वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खाजपुर का बास, पटवार हल्का खाजपुर नया, तहसील— झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू की सीमा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 112 113, 132, 346/114, 347/114 एवं 348/114 कुल किता 13 कुल रकबा 12.84 में प्रतिवादी संख्या 4 को 1/10 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 58/1605 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष वारिसान को दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

19/12/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)